

कार्यवाही**प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद****इलाहाबाद प्रदेश सरकार**

संख्या: प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक: 09/08/2021

कार्यवाही आरंभ

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्शी कार्यपालिका ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार के सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक संघन हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अर्जेंटली नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का फैसला वृद्धि क्षमता बढ़ाकर 60 पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्याह्वान एवं उसमें अंकित शर्तों का समावेश हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2079-DSR COLLEGE OF PHARMACY 233,PUPRANANKAR,RICHA JAHANABAD ROAD BAHARI, BAREILLY-243205

क्रमांक	प्रत्याह्वान का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०टी०ई० द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था इलाहाबाद प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1992, सेक्टर विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य विनियमों एवं अधदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेन वसीय हेतु ए०आइ०सी०टी०ई० प्रत्याह्वान हेतु ए० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वसीय परामर्शी प्रत्याह्वान हेतु ए०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वसीय प्रत्याह्वानों (दो वसीय परामर्शी प्रत्याह्वान के अधीनस्थ) हेतु ए०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधीनस्थ छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साक्षात् द्वारा निर्णय किये जाने वाले छात्र/छात्रा प्रकृति होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जायेगा आवश्यक होगा। कीस निर्धारण समिति द्वारा वरिष्ठ वर्ष 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जायेगा है, जो कीस की नवीनतम दर लागू होगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DSR COLLEGE OF PHARMACY 233, PIPRANANKAR, RICHA JAHANABAD
ROAD BAHERI, BAREILLY-243205



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

संकेत

वैद्य, परामेदिक विज्ञान परीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार

संकेत - वैद्य/परामेदिक/सम्बद्ध/2022/7817

संकेत: दिनांक: 30/08/2022

संकेतित उत्तर:

प्रतिष्ठित भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान परीक्षा, नई दिल्ली भारतीय आयुर्वेदिक आयोग (एडिआय), नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान शाखाओं को अनुसूचित स्थान दिए जाने के अंतर्गत वैद्यिक विज्ञान परीक्षा, 3000 आसपास में सम्बद्ध सम्बद्ध विज्ञान स्थान दिए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परीक्षा बोर्डों में सम्बद्ध अतिरिक्त की सेवा लागू है। सेवा में अतिरिक्त द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अतिरिक्त नई आसपास को सम्बद्ध नई में आयुर्वेदिक शाखाओं को सम्बद्ध विज्ञान/ पदस्थान: वरिष्ठ आयुर्वेदिक अतिरिक्त आसपास परीक्षा करने हेतु वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्ध सम्बद्ध विज्ञान स्थान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्ध अतिरिक्त की सेवा में विभिन्न वर्षों के अनुभव में स्थान प्राप्त को वैद्यिक विज्ञान परीक्षा, 30 पर आसपास द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु नियुक्तिगत कार्य के अंतर्गत पदस्थान एवं उम्मीदवारों को सम्बद्ध सम्बद्ध विज्ञान स्थान को जारी है।

संकेत का कोड एवं नाम : 2079-OSR COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पदस्थान का नाम	संयुक्त/अनुसूचित/पैदाशु/अनुसूचित द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुसूचित परीक्षा स्थान	परीक्षा द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुसूचित परीक्षा स्थान
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्ध हेतु कार्य

- ✓ संकेत 2079-OSR COLLEGE OF PHARMACY द्वारा निर्दिष्ट की सभी शर्तें एवं शर्तें का पूर्णतः पालन करेंगे।
- ✓ संकेत उत्तर प्रदेश वैद्यिक विज्ञान परीक्षा एवं 1962 तथा वैद्यिक विज्ञान परीक्षा नियंत्रण बोर्ड 1992, नियंत्रण बोर्ड 2000, संशोधन नियंत्रण बोर्ड-2016 तथा संकेत-संकेत पर निर्भर शाखाओं का अनुसूचित कार्य तथा सुका निर्देशन अतिरिक्त द्वारा निर्दिष्ट सुका सेवा संबंधी शर्तें पदस्थानों हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यवाही पदस्थान हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक साथ दो वर्षीय पदस्थानों (दो वर्षीय कार्यवाही पदस्थान के अतिरिक्त) हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष सुका ही संबंधित परीक्षाओं में पालन किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षाओं में सुका के सम्बद्ध में संकेत-संकेत पर निर्भर द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शाखाओं पर कार्य करेंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। वरिष्ठ निर्देशन अतिरिक्त द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु वरिष्ठ का पुनर्निर्देशन किया जाता है, तो वरिष्ठ की नियुक्ति एवं कार्य करेंगे।
- ✓ संकेत में अनुसूचित वरिष्ठ वरिष्ठ परीक्षा द्वारा अतिरिक्त कार्य को ही कार्य दिया जाएगा।
- ✓ संकेत को संकेत-संकेत पर निर्भर शाखाओं के अनुसूचित निर्देशन एवं सम्बद्ध सुका उम्मीदवारों को जारी होगा।
- ✓ संकेत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न/अतिरिक्त/अनुसूचित/अनुसूचित/अनुसूचित एवं निर्देशन, वैद्यिक विज्ञान, 3000, अनुसूचित वरिष्ठ वरिष्ठ परीक्षा, 3000 तथा वैद्यिक विज्ञान परीक्षा, 3000 द्वारा कार्य में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट, अतिरिक्त एवं निर्दिष्ट का पालन करने के निर्देश जारी करेंगे।

- ✓ यदि संस्थान का ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त प्रशासनिक संबंध का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संबंध स्वयं प्रशासकीय होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश सत्रात्मक के विरुद्ध यदि कोई काट टाकर किया जाता है तथा टाकर काट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को बरनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों निघाती का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, बरान, सखन-सखन, उपकरण, वापन किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर होकर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रशासनिक संगठित कार्यक्रम को चलाने जाने हेतु निदेशालय समिति के समस्त उपलब्ध कार्य एवं अभिलेख, भूमि-अदन, परीपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपरोक्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक उपाधीय निदेशालय के टीएन यदि संस्था में भूमि, सखन, परीक्षासाल, उपकरण एवं अन्य सखन-सखन ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मालकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।



(ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

अधिक

ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद/सखनक/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रशासनिक/निदेशालय DSR COLLEGE OF PHARMACY



(ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

अधिक

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघटित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2079-DSR COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसूचक उ० प्र० प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 311/19-20999/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्था संस्थाओं की पत्र के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में पेशित विर विपक्ष संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्दिष्ट की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम के अनुसूचक संस्थान में संस्था लखनऊ (युनि. भवन, टि० उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र: 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निर्मित सलाहदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलाह प्राप्त निर्दिष्ट किये जाने वाले सलाहदेशों प्रस्तुती होगी, और सदस्यवार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पत्र सत्र 2023-24 हेतु पत्र का पूर्णतः पालन किया जाता है, जो पत्र को सर्वोपरि धरे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सलाहदेश के अनुसार विद्यमान एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिविधियों/अधिनियमों/सलाहदेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बतये गये किये, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

करने के लिये कार्यवाही है।

- ✓ यदि संसद का अधिलेख भारतीय राजकीय विद्या परिषद्/राजकीय कार्यपालिका और इतिहास, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संघ में समस्त उपरोक्तिय संसद का होना और प्रिण्टिग अथ से किसी भी कार्यवाही के लिये संसद को उपरोक्तनी होगी। प्रारम्भिक विद्या परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्रारम्भिक विद्या निदेशालय एवं प्रारम्भिक विद्या विभाग उपर प्रदेश सरकार के सिस्टम यदि कोई काद टाकर किया जाता है तब टाकर काद के संघर्ष में का. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधी कार्य बंद करवाये जायेंगे।
- ✓ संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश संसदों द्वारा प्रवेश एवं के लिये आधीनक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यपालिका प्रदान होने के पूर्व अधिलेख भारतीय राजकीय विद्या परिषद्/राजकीय कार्यपालिका और इतिहास, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यपालिका को उपलब्ध कराया होता अपना उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समय पर निर्दिष्ट कार्यपालिका आदेशन विद्यार्थी का अनुमोदन कराया कार्यवाही होता।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट तथा प्रारम्भिक विद्या के सुसाइज पोर्टल पर संसद की समस्त सुचनाएँ जैसे संसद की ऐतिहासिक सूची भूमि, सारक, सारक-सामक, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलक, सहायक सुलक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होता।
- ✓ संसद को विद्यार्थी/विद्यार्थी हेतु उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग टोकरने के सम्बन्ध में समस्त आचारणक व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाती।
- ✓ संसद को सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रशासनिक/व्यवस्थापक पदाधिकार को चलाने जाने हेतु निर्दिष्ट शर्तियों के समस्त उपलब्ध कराये जायें अधिलेख, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण ट्रांसफरि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पदाधिकार के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्काल संसद की कार्यपालिका संचालन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक विद्या (प्रारम्भिक और उपसम्मिलित), संसदों का सम्बद्ध किया जाना/ विनियमन, 2000 के अधिनियमनुसार परिषद् की संसद पर अपने कार्यवाही, भवनों और कार्यवाही को परिषद् की परीक्षा के संचालन के लिये परिषद् के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संसद के अधिकार संबंधी निर्दिष्टन के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सारक-सामक एं-आई/सी/टी/ई/ई/सी/सी/आई/परिषद् के समस्तनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता संचालन कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सारों का अनुमोदन न किये जाने अथवा सारों का उपलब्ध किये जाने की शक्ति में नियमनुसार अनुमोदन/उपलब्ध कार्यवाही की जायेगी।



(अधीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं०सं०- प्राथमिकपरिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानकार्यनिदेशक, DSR COLLEGE OF PHARMACY



(अधीत कुमार मिश्र)

सचिव